सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 31 दिसम्बर, 1997

सं० सा० का० नि० 2/संविधान/अनु० 318/309/97- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

भाग I - सामान्य

1. ये नियम हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1997 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :- परिभाषाएं

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,--

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) कोई अन्य संस्था जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(ड.) ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय हैं, --

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मायता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; और

(च) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग (ग्रुप-क) सेवा।

भाग II - - सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :-

(क) भारत का नागरकि; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगोडा तथा तंजानियां के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी वेश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शेक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन मेमं उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय; विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

नियुक्ति प्राधिकारी।

5. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यातएं।

6. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिशिष्ट ख के खाना 4 में दर्शाई गई योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग

8. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :-

(क) परीक्षा नियंत्रक की दशा में,- -

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/ कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परनतु इस प्रकार की नियुक्तियां केवल उन्हीं हालातों में की जायेंगी जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कोई योग्य उम्मीदवार पदोन्नति के लिये पात्र न हो।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी तथा केवल ज्येष्टता ऐसी पदोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर

9. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेगा, परन्तु; परिवीक्षा।

व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जाएगी।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि पूरी होने पर यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,- -

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,- -

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार हो;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,- -

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सनतोषजनक रहा हो तो,- -

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो; स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसके पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तो के अनुसार हो; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्श से अधिक नहीं होगी।

10. येचस के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :- ज्येष्ठता।

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :-

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे और

(ग) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा मेमं, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

11. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, --

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भतीर नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

12. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगें जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएं या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाएं जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

13. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के साथ समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये

सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में बताया गया है।

टीका लगवाना। 14. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुन: टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति। 16. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध 17. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण। 18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वगो।, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन, तथा व्यावृति। 19. सेवा को लागू नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान

	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
परीक्षा नियंत्रक	- -	1	1	3,000 - 100 - 3,500 - 125 - 4,500 + 400 रुपये विशेष वेतन

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3
परीक्षा नियन्त्रक		आयोग के कार्यालय में अधीक्षक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट ग
देखिये नियम 12(1)

पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
परीक्षा सरकार	सरकार	1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों के	अध्यक्ष	सरकार	

उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तािा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;

2. बड़ी शास्तियां :

(vक) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना;

(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी सी अवभति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं, और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने	अध्यक्ष	सरकार

का प्रभाव रखेगी या नहीं;
(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा मेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तो सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा;
(viii) अनिवार्य सेवा निवृति;
(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;
(x) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी।

परिशिष्ट घ

देखिये नियम 13(2)

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई है
1	2	3	4	5
परीक्षा नियन्त्रक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	- -	- -

राम एस० वर्मा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
GENERAL SERVICES
Notification
The 31st December, 1997

No. G.S.R. 2/const./Art. 318/97-In exercise of the powers conferred by clause (b) of article 318 read with proviso to article 309 of the Constitution of India. The Government of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Public Service Commission (Group-A), Service namely: -

Part 1-General

1- These rules may be called the Haryana Public Service Commission (Group-A) Service Rules, 1997.
2- In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
(b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in the service of the government of India or any State Government;
(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
(d) "Institution" means: -
(e) "recognised University" means-
(f) "Service" means the Haryana Public Service Commission (Group A) Service

Part II
Recruitment To service

3. The service shall comprise the psots shown in Appendex A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the in learnt right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:-
(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently setting in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Counrties of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Ethiopia with the intention of permanently setting in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate fo eligibility has been issued by the Government.
(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal/Academic Officer of the university, college school or institution last attended, if any, and similar certiicte from two other responsible person, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
5. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.
6. No person to shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules.
7. No person,
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in service:

Provided thatthe Goernment may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, so, exempt any person from the operation of this rule.

8.(1) Recruitment to the services shall be made in case of conroller of Examination.

(t) by promotion from amongst Superintendents who are memebrs of the Haryana Public Service Commission State Serice (Group B); or

(ii) by transfer or deputation of an officer in the service of any state

Provided that appointment in this manner will be made only in exceptional circumstances when a suitable person is not available for promotion within the commission.

(2) All promitions, unless otherwise provided, shall be made on seniority cum merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

9(1) Person appoointed to any post in the service shall remain on probation for a period of one year:

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by, transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be recknoned as period spent on probation, but no person who has to officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

2. If , in the opinion of the appointing authority, the work and conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, if such person is appointed otherwise than by direct recruitment, it may,

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

3. on the completion of period of probation of a person, the appointing authority may,

(a) if his work or conduct has in its opinion, been satisfactory-

(i) confirm such person from the date of his appointmet, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare hat he has completed his probation satisfactorily, if their is no permanent vacancy; or
(b) if his work or conduct in its opinion, been not satisfactory-
(i revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or
(ii) extend his period of probation and there after pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation; provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not excel three years.
10. Seniority, inters of the members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service;
Provided that in the case of two or more members appointed on the same date, their seiority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
(b) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transfered; and
(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in this provious appointment; and if the rates of pay drawn are also the same then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

11.(1) A member of the service shall be liable to serve at any place whether within or outside the state of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority.
(2) A member of the service may also be deputed to serve under
(i) a company, an association of a body of individual whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;
(ii) the Central Government or a cmpany an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body r eferred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

12. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India, or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

13 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under the constitution of India, shall be as specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) or rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

14- Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

15. Every member of the Services, unless he has already done so, shall be required to take both of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

16. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it ay, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

17- Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicappd persons or any other class or category of person in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty percent at any time.

19. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repeated:

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A
(See Rule 3)

Designation of post	Number of posts Perma- Total nent	tempo- rary		Scale of Pay
1	2	3	4	5
Controller of Examination	-	1	1	Rs. 3,000-100-3,500-125-4,500+Rs. 400 S.P.

APPENDIX B
(See Rule 7)

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experiences, if any, for appiontment other than by direct recruitment
1	2	3
Controller of Examination	-	Five years experience as Superintendent of Commission.

APPENDIX-C
(See Rule 13 (1)

Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5
Controller of Examination	Government	1. Minor Penalties: i. Warning with a copy in the personal files, (character rol); ii. Censure; iii. withholding of promotion; iv. recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach or orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not; which is wholly or substantially owned or controlled by the	Chairman	Government

		Government or to a local authhority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and v. withholding of increments of pay without commulative effect; vi. Major Penalties: vii. withholding of increments of pay with commulative effect;		

1	2	3	4	5
		(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not to the Government employee will earn increments of pay during the period of such deduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the		

promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;
(viii) compulsory retirement;
(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D
[See rule 13(2)]

Designation of posts	Nature of order	Authority emplowered to make the order	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any,
1	2	3	4	5
Controller of Examination	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pensions admissible	Government	-	

	under the rules govering pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	

RAM S. VARMA,
Chief Secretary to Government, Haryana